© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

मनुस्मृति में शूद्रों की सामाजिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 देवनारायण पाठक
शोध–निर्देशक
संस्कृत विभागाध्यक्ष,
ने0ग्रा0भा0मा0वि0वि0
इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश।

रामप्रकाश
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग,
ने0ग्रा0भा0मा0वि0
इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश।

भूमिका – किसी समाज की परम्पराओं और संस्कृति का आधार साहित्य और शास्त्रों को माना जाता है, इसलिए साहित्य का समाज का दर्पण कहा जाता क्योंकि समाजिक लोकाचारों को अनुशीलन साहित्य में होता है। प्रीचन भारतीय धर्मशास्त्रों में जो सामाजिक चिन्तन किया है, वह तत्कालीन समाज की स्थिति को स्पष्ट करता है। 200 ई0पू0 में लिखी गयी धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ मनुस्मृति 'विधिसंहिता' है जो सामाजिक कर्त्तव्यों और विधि विधानों का प्रावधान करती है। वेद–ज्ञानी, विदृत् समाज द्वारा स्थापित परम्परायें तथा वेदों के तत्त्वार्थ को समझाने वाले महर्षियों का आचार–व्यवहार तथा सज्जन व्यक्ति स्थापित रीति–रिवाजों और महर्षि मनु की अन्तरात्मा की आवाज का समावेशन किया गया है। मनुस्मृति की समीक्षा में तत्समय प्रचलित समाजिक परम्पराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं पर केन्द्रित शूद्रों की स्थिति के बारे में होगा। यह माना जाता है कि स्मृतिकाल का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्यमान है, जिसका प्रभाव भारतीय कानूनों अर्थात् विधि संहिता में दिखायी देता है, शूद्रों के सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने से पूर्व यह समझना जरूरी है कि शूद्र कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा समाज में इनकी क्या सत्ता थी।

शूद्रों की उत्पत्ति– शूद्रों के उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई एक स्पष्ट मत नहीं है। यह माना जाता है, शूद्र और दास एक दूसरे पर्याय है अर्थात् दास ही शूद्र थे, जिनका हमारे वेदों बहुशः उल्लेख किया गया है। यूरोप से आये आर्य लोग गौरवर्ण के और एशिया तथा अफ्रीका के लोगों की गौरेतर कहा जाता है। आर्यो के देवता इन्द्र को दासों का विजेता माना गया है, ये दास मानव ही रहे होंगे। वेदों में कहा गया है कि इन्द्र ने अधम दास वर्ण को गुफाओं में रहने के लिए बाध्य किया था। ऋग्वैदिक स्तुतियों में इन्द्र से प्रार्थना की गयी है कि वे दास जनजाति (विश्) नष्ट करे। इससे यह परिलक्षित होता है कि दास के सामाजिक कृत्य निकृष्ट थें, जिससे उसे समाज में हेय माना गया तथा सभी प्रकार से नष्ट करने का आह्वान किया गया। ऋग्वेद में एक स्थान पर उसे नष्ट करने वाले दास वर्ग को आगे चलकर शूद्रो की श्रेणी में रख दिया गया। यद्यपि ऋग्वेद मे शूद्रों के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया फिर ऋग्वेद के दशवें मण्डल में इनके उत्पत्ति से सम्बन्धित एक मन्त्र प्राप्त होता है, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी गयी है। मनुस्मृति में इसी मन्त्र के आधार शूद्रों की उत्पत्ति के बार में कहते हैं, ब्रह्मा ने समाज के कल्याणार्थ चारों वर्णों को उत्पन्न किया–

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखवाहूरूपादतः।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं निरवर्तयत्।।

शूद्रों की सामाजिक स्थिति–

आचार–व्यवहार– किसी समाज में करणीय कृत्यों को मान्यता देना और अकरणीय कृत्यों की निन्दा करना सामाजिक मापदण्ड स्थापित करने का आधार है। किसी समाज के व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यवहारों से उस समाज का मूल्यांकन किया जाता है, स्मृतिकाल की समाजिक व्यवस्था 'वर्णव्यवस्था' पर आधारित थी, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए उसके कार्य निर्धारित थे, इन्हीं कृत्यों का पालन करना आचार–व्यवहार कहा जाता है, स्मृतिकार कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण जो अभिवादन का प्रति–उत्तर देना नहीं जानता उसको विदृत् समाज द्वारा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ब्राह्मण शूद्र के समान होता है–

यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्।
नाऽभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस् तथैव सः।। 2.126।।

शूद्रता को कोई भी व्यक्ति प्राप्त हो सकता था, यह उसके कृत्यों पर निर्भर करता है शूद्र समाज सामाजिक निकृष्टता का द्योतक था, क्योंकि ब्राह्मणों की शूद्रता की प्राप्ति उसका संकेत करती है, जो अन्य वर्ण की प्राप्ति का निषेध करती है।शूद्रों को अभिवादन के सम्बन्ध में स्मृतिकार कहता है कि ऐसा ही शूद्र अभिवादन या सम्मान के योग्य होता है जो 90 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो–

पंचानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च।
यत्र स्युः सोऽत्र मानाऽर्हः शूद्रोऽपि दशमी गतः।।

इस प्रकार की विधि करना सामाजिक विषमता की ओर संकेत करती है, क्योंकि हमारे समाज में 100 वर्ष की जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें अन्तिम दशम की प्राप्ति कम ही व्यक्तियों को होगी इससे शूद्र वर्ण में अत्यनत अल्प व्यक्ति ही सम्मान को प्राप्त करने वाले होंगे।

नामकरण– महर्षि मनु नामकरण संस्कार में वर्णक्रम की मान्यता पर अत्यधिक बल दिया है, जो यह प्रमाणित करता है, शूद्रों की स्थिति निम्नतर थी। मनुस्मृति बताती है, समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का शौर्य सूचक शब्द, वैश्य का नाम द्रव्य सूचक शब्द से युक्त और शूद्र का निन्दित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। अपने सैद्धान्तिक मत को पुष्ट करने के लिए मनु कहते हैं कि चारों वर्णो के उपनाम में क्रम इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे सुखशान्ति, रक्षा, समृद्धि और सेवा का भाव प्रकट हो। स्मृति टीकाकार कुल्लूकभट्ट कहते हैं कि ब्राह्मण का यथा शुभ शर्मा, मंगलदेव, क्षत्रिय का यथा बल वर्मा, विजय प्रताप वर्मा, वैश्य का जैसे वसुभूति, कुबेरदत्त और शूद्र का जैसे दीनदास, दीनदयाल से युक्त नामकरण करना चाहिए।

शमदेवश्च विप्रस्यवर्मत्राता च भू भुजः।
भूतिर्दत्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारदेत्।।

सामाजिक मेल–जोल (मित्रता)– किसी समाज के सामाजिक सौहार्द में उस समाज के साहित्य और शास्त्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं माध्यमों के द्वारा समाजिक संस्कृति और प्रथाओं का निर्माण होता है, इसी कारण साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। मनुस्मृति में समाजिक विभेदता के कुछ लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है, स्मृति में शूद्रों की मित्रता का वर्जन किया गया है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि स्वकुल को उत्कर्ष बनाने के लिए ब्राह्मण सर्वदा अपने से बड़े के साथ सम्बन्ध स्थापित करें तथा अपने से नीचों का परित्याग कर दे। इसके विपरीत कृत्य करने वाला शूद्रद्रता को प्राप्त होता है। इस प्रकार से शूद्रों को समाज में निम्न श्रेणी की ओर इंगित करके मित्रता से वंचित रखने का प्रयत्न किया गया है। एक ओर शूद्रों को जहां सेवा का अधिकार देकर मित्रता से वंचित रखना समाजिक विरोधाभास का अहसास कराती है, क्योंकि वह सेवा तो कर सकता था, परन्तु मित्र नहीं बन सकता था।

अन्ननिषेध– स्मृतिकार के अनुसार स्नातक को शूद्र का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र का अन्न ब्रह्मवर्चस (ब्रह्मतेज) को नष्ट करता है। महर्षि मनु का मानना है कि विद्वान ब्राह्मण श्राद्ध आदि प×चमहायज्ञ की क्रिया विधान से रहित शूद्र के पकवान न खाये, किन्तु खाने के लिए दूसरा अन्न नहीं रहने पर शूद्र से एक रात्रि को भोजन करने योग्य कच्चे अन्न को प्राप्त किया जा सकता है। जीविका के अभाव से आपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण सभी से दान ग्रहण करें, क्योंकि स्वभाव से ही पवित्र वस्तु दूषित हो जाता है यह बात धर्म से उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार यदि ब्राह्मण गृहस्थ के घर शूद्र अतिथि धर्म से आ जाये तो ब्राह्मण को उसके प्रति दया भाव प्रकट करना चाहिए तथा उसे अपमानित नहीं करना चाहिए उसकी मूल्यों के साथ भोजन कराना चाहिए।

शूद्रो के प्रति पृथक प्रथायें– मनुस्मृति के पर्यालोचन से स्पष्ट होता है कि शूद्र समाजिक परम्पराओं में पूर्णतः अलग–थलग था जो अधिकार उच्च वर्णो को प्राप्त थे, शूद्रों को उनसे वंचित किया गया। स्मृति ब्राह्मणों के लिए चार विवाहों की अनुमति देती है, क्षत्रिय के लिए 'राक्षस' विवाह और वैश्य तथा शूद्रों के लिए एक मात्र 'आसुर' विवाह को प्रशसंनीय माना गया है–

चतुरो ब्राह्मणस्याऽऽद्यान् प्रशस्तान् कवयो विदुः।
राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः।। 3.24

मातृ प्रधानता– प्राचीन भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जिसमें पिता या पुरुष को परिवार का मुख्या या प्रधान माना जाता था। यही प्रथा आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों

में व्यापक परिवर्तन आया है। मनुस्मृति नारी को लक्ष्मी के समान स्थान प्रदान करती है, वह कहता है 'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।'' चार प्रकार के विवाह से विवाहित स्त्री जो धन अपने पिता से प्राप्त करती है वह स्वयं उसकी उत्तराधिकारिणी होती है, लेकिन सन्तानहीन होने पर उसके धन का अधिकारी पति होता है। किन्तु 'आसुर' राक्षस तथा पैशाच संज्ञक विवाहों में स्त्री को प्राप्त धन, सन्तानहीन मृत्यु होने पर माता–पिता को अधिकार दिया गया है। यहां पर यह स्मरण रखना जरूरी है कि असुर इत्यादि विवाह शूद्रों में सम्पादित होते थे, इसलिए शूद्रों द्वारा व्यव®त वैवाहिक परम्परओं और उनके समाज में मातृ पक्ष को विशिष्ट स्थान प्राप्त था।

वैवाहिक स्थिति– मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाह वर्णित किये गये हैं, जिसमें कुछ सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित तथा कुछ को निन्दनीय कहा गया है। प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक–पृथक विवाह का विधान किया गया है। मनुस्मृति अन्तर्वर्णीय विवाह का निषेध करती है, जिसके अनुसार उच्चवर्ण के पुरुष को निम्नवर्णीय स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई द्विजातीय सजातीय तथा विजातीय स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उनके वर्णक्रम के अनुसार भाषण, दायभाग, वस्त्राभूषणादि से सत्कृत कर तथा निवास के लिए अलग से घर निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च वर्ण के स्त्री के लिए श्रेष्ठ संसाधन प्राप्त होते थे लेकिन निम्न वर्ण के कलत्र के लिए अपेक्षाकृत कम साधनों से जीवन–निर्वाह करना होता था। पृथक गृह में रखना यह प्रदर्शित करता है कि वह परिवार के सदस्य के रूप में गृहीत नहीं है, इस प्रकार के व्यवहार से उसे मानसिक प्रताड़ना होती थी। मनु कहते हैं कि कामवासनादि के भावावेश को द्विजाति हीन जाति (शूद्रा) से विवाह करता है तो वह पुरुष सन्तान सहित शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। इसकी पुष्टि मनु द्वारा ऋषि विषयक वृत्तान्त से स्पष्ट हो जाता है–

शूद्रावेदी पतत्यत्रेरूतथ्यतनयस्य च।

शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगो :।। 3.16

शूद्रों की शिक्षा– शिक्षा के क्षेत्र में मनुस्मृति की विचारधारा संकुचित दिखायी देती है, जिसमें कहा गया है कि वैदिक अध्ययन का अधिकार द्विजो को है। द्विजो की तुलना में शूद्रों को मात्र 'एक जाति' कहा गया है। व्यक्ति का पहला जन्म मात्र गर्भ से होता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। इसलिए जो द्विज वेद का अध्ययन न करके अन्य कार्यो में संलग्न होता है वह जीवन धारण किये हुए शूद्रत्व को प्रज्ञपत हो जाता है। द्विजों को वेदाध्ययन अनिवार्य करके महर्षि मनु समाजिक रूप से अग्रणी करके समाजिक अन्तः चेतना के विकास का दायित्व सौंपा था, जिससे वे अनध्ययन वर्णो में ज्ञान का विकास करें। शूद्र समाजिक रूप से निम्न तथा अशिक्षित श्रेणी में आता था जो लोक और परलोक सम्बन्धी ज्ञान को द्विजों से प्राप्त कर सकता था। मनु कहता है कि शूद्रों की उपस्थिति में वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। वेद को पढ़ने वाला ब्रह्मचारी और शिष्यों को शास्त्रोक्त विधि से पढ़ाने वाले स्नातक गृहस्थ ब्राह्मण अनध्यायों को वेद पढ़ने में वर्जित करे। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करे वह समुचित प्रकार से पालनीय व्यवहारों को भी करे तथा लोगों को बताये कि किस समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तत्कालीन समाज में कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिससे कुछ शूद्र स्वतः ही शिक्षत्व का भार ग्रहण कर लिया था। शूद्र के शिष्य अथवा शूद्र के गुरू को श्राद्ध कर्म में नहीं आमन्त्रित करने की विधि का उल्लेख स्मृतिकार करते हैं–

भृतकाऽध्यापको यश् च भृतकाऽध्यापितस् तथा।

शूद्रशिष्यों गुरूश चैव वाग्दुष्टः कुण्डगौलकौ।। 3.156

शूद्रो की आर्थिक स्थिति– शूद्रों का सम्बन्ध दासों के साथ स्थापित लिया गया था, लेकिन वे अन्य पदों पर पहुंच कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते थे। वे ग्राम भोजन (ग्राम मुखिया) मन्त्रीगण और उच्च कुल उत्पन्न व्यक्ति के समान स्थिति को प्राप्त कर सकता था। अधिकतर दास मजदूर शूद्र ही थे। ऋण, क्रय, अपनी इच्छा और भय से उत्पन्न दासता की उम्मीद उच्च वर्ण की अपेक्षा निम्न वर्णो से अधिक की जा सकती है, उदाहरणार्थ, एक गाडीवान की कन्या, अपने पिता द्वारा कर्ण न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लायी गयी थी। दास और भाडे के मजदूर खेतों के छोटे–छोटे टुकड़ों में कार्य करते थे। उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी, जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे। धर्मसूत्रों में शूद्रों के रहन–सहन के बारे में प्रकाश पड़ता है, जिसमें गौतम कहते हैं कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगो द्वारा उतार फेंके गये जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का प्रयोग करे। जातक कथाओं में भी यही स्थिति है जिसमें बताया गया है कि चूहों द्वारा चिथडे बनाये गये वस्त्र दास और कामगारों के लिए होते थे। आर्थिक दृष्टि से शूद्र धीरे–2 कृषि कार्य में स्थान बना रहे थे तथा अन्य कार्य करने में दक्षता हासिल कर रहे थे जैसा कि मनु ने कहा है कि द्विजों की सेवा

की सेवा करने में असमर्थ शूद्र स्त्री–पुत्र आदि के पीड़ित होने पर ऐसे शिल्पी कार्यों की अपना सकता है जिसमें द्विजों की सेवा का भाव निहित हो।

मूल्यांकन– वर्तमान समाजिक स्थिति में शूद्र समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकृत है। उसे समाज में सभी वर्गो के समक्ष समान स्थान प्रदान किया गया है, जिससे एक समाजिक सन्तुलन की स्थिति बनी है, उन्हें इस स्थिति में लाने के लिए विभिन्न समाजिक संगठन तथा सरकारों ने प्रयास किये है। शूद्रों को अब अछूत नहीं माना जाता जिसके के लिए हमारे संविधान में छूआछूत को निषेध किया गया है। शूद्रों के सामाजिक रहन–सहन, खानपान, कर्म तथा धर्म में परिवर्तन हुआ है, जहाँ प्राचीन समय में सेवाकर्म अर्थात् उच्च वर्णो की सेवा मुख्य कर्म था, अब वह नहीं रहा। संविधान और सरकारों ने उनके सामाजिक रहन–सहन को उच्च स्थिति प्रदान करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किये है, जैसे अस्पृश्यता का अन्त, आरक्षण की व्यवस्था एवं योजनायें बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

मनुस्मृति – निर्णयसागर प्रेस, बम्बई

दि लॉ आफ मनु – जी0 ब्यूलर

शूद्र और नारी – प्रताप चन्द्र धुरिया

राजर्षि मनु और उनकी मनुस्मृति – डॉ0 सुरेन्द्र कुमार

हिन्दू संस्कार – डॉ0 राजबली पाण्डेय

जाति का विनाश – डॉ0 भीमराव आंबेडकर

यजुर्वेद – सायण भाष्य